फर्द–अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
जे एम फाइनेंसियल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपरी लिमिटेड,कार्यालय–7 तल,एनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग,प्रभादेवी,मुंबई, महाराष्ट्र जरिये प्राधिकृत अधिकारी जगदीश मीणा		1. श्री भंवरसिंह पुत्र श्री मदनसिंह पता–राजपूतो का बास,जैजासनी 2. श्रीमती रमेश कॅवर पत्नी भंवरसिंह निवासी–राजपूतों का बास,जैजासनी तहसील–रियांबड़ी।

किस्म मुकदमा –सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 **संख्या–** 155 **सन्** 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
31.10.2025	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संलग्न धारा 13(2) के नोटिसों की तामिले गैर सायलान को जरिऐ रजिस्टर्ड डाक भेजी गई परन्तु उक्त नोटिस की तामिले विधिवत् होने सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। पत्रावली में प्रस्तुत ट्रेक रिपोर्ट डाक घर की संलग्न की गई हैं,उसमें डाक पुनः भेजी जाने का अंकन हैं,डाक गैर सायल को प्राप्त होने का अंकन नहीं हैं। इस प्रकार प्रकरण में गैर सायल को जारी धारा 13(2) के नोटिसों की विधिवत् तामिले होना नहीं पाया गया हैं। प्रकरण में आदेश पारित किये जाने से पूर्व यह देखा जाना आवश्यक हैं कि गैर सायल को धारा 13(2) के नोटिस की तामिल विधि पूर्वक हुई हो। इस प्रकरण में गैर सायल को धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत तामिल नहीं होने से प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र गैर सायलान को धारा 13(2) के नोटिसों की तामिल के अभाव में खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। (अरूण कुमार पुरोहित) **जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट,** **नागौर** जिला मजिस्ट्रेट नागौर	